भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–01/2017–18

बिन्दा साव, पिता–स्व० सिरी साव, निवासी–वार्ड नं0 02(पुराना), पंडित हाता, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला– प0 सिंहभूम।	वनाम्	झारखण्ड सरकार अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर।

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>03.02.2022</td><td>
अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक/अपीलार्थी बिन्दा साव, पिता–स्व० सिरी साव, निवासी–वार्ड नं0 02(पुराना), पंडितहाता, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–99/2016–17, दिनांक–29.04.2016 में पारित आदेश के विरूद्ध Appeal u/s 15 of the Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 के अंतर्गत इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–01/2017–18 दायर किया है।
भूमि का विवरणी
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>वार्ड नं0 04, चक्रधरपुर</td><td>68</td><td>95</td><td>187a</td><td>0.00.750 ए0</td></tr>
</table>
अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान एवं पंजी–II में रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के नाम पर दर्ज है। वाद भूमि (1) बिन्दा साव (2) श्री शम्भु साव (3) गोविन्द साव सभी का पिता–स्व० सिरी साव द्वारा निबंधित दलील संख्या–1985, दिनांक–21.11.1985 के माध्यम से श्री रामदास हलुवाई, पिता–स्व० मुशहरी साव से मौजा–नगरपालिका वार्ड नं0 04, खाता नं0–95, प्लॉट नं0–188a, रकवा–0.09.360 ए0 एवं प्लॉट नं0–187a, रकवा–0.00.750 ए0, कुल रकवा–0.10.110 ए0 भूमि क्रय किया गया है। मौजा–नगरपालिका वार्ड नं0 04, खाता नं0–95, प्लॉट नं0–187a, रकवा–0.00.750 ए0 भूमि अपीलार्थी को आपसी पारिवारिक बटवारा में प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा पारिवारिक बटवारे से अन्य अंशदार के संतुष्ट नहीं रहने एवं खतियानी रैयतों द्वारा आपत्ति के आलोक में नामांतरण वाद संख्या–99/2016–17 को अस्वीकृत किया गया है।
सुनवाई के दौरान उक्त भूमि के अन्य अंशदार शम्भु साव एवं गोविन्द साव
</td><td></td></tr>
</table>

वाद में उनके द्वारा अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में किसी प्रकार का आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। उक्त भूमि अपीलार्थी को आपसी पारिवारिक बटवारा में प्राप्त हुआ है। वाद भूमि पर वर्त्तमान में भी अपीलार्थी का दखल–कब्जा है। अपीलार्थी के नाम से उक्त भूमि का नामांतरण होने से उनलोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अन्य अंशदार (1) श्री शम्भु साव, पिता–स्व० श्री साव, निवासी–वार्ड नं0 02(पुराना), पंडितहाता, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम (2) सुशीला देवी, पति–गोविन्द साव, निवासी– वार्ड नं0 02(पुराना), पंडितहाता, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा वाद भूमि पर किसी प्रकार का आपत्ति/दावा नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी का दखल–कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के अस्वीकृति आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है।

अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में वाद भूमि का दाखिल–खारिज करते हुए पंजी–II एवं अन्य राजस्व कागजातों में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 16:53:48 +05:30
Location: 192.168.1.39